प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
मथुरा।

सेवा में

नगर आयुक्त
नगर निगम, मथुरा।

दिनांक 6/01/2021

पत्रांक :— मु0चि0अ0 / एन0टी0सी0पी0 / 2020—21 / 138

विषय :— **तम्बाकू नियंत्रण हेतु जनपद के नगर निगम / स्थानीय निकायों में वैंडर लाइसेंसिंग के प्रावधान लागू करने के सम्बन्ध में**

महोदय,

उपरोक्त विषयक महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश,लखनऊ के पत्रांक संख्या राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2019—20 / 8319 दिनांक 24.02.2020 कम में जनपद—मथुरा में लगभग 25—30 प्रतिशत आबादी किसी रूप में भी तम्बाकू का सेवन करती है जिसमें से बडी संख्या में पुरूष व महिलाएं तम्बाकू से होने वाली गम्भीर बीमारियों से ग्रसित है। साथ ही कोरोना महामारी के समय तम्बाकू खाकर इधर—उधर थूकने से महामारी के और अधिक फैलने का खतरा भी है जिसके कारण जनपद का विकास भी प्रभावित होता है। जन समुदाय को तम्बाकू के दुष्प्रभावो से बचने हेतु भारत सरकार द्वारा कोटपा—2003 लागू किया गया परन्तु तम्बाकू विकेताओं हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली न होने के कारण कोटपा 2003 के प्रभावी कियान्वयन में बाधाएं आ रही है। इन सन्दर्भ में नगर निगम लखनऊ द्वारा लाइसेंसिंग हेतु नियमावली तैयार कर गजट कराया गया है।

अतः मथुरा—वृन्दावन नगर निगम में वेंडर लाइसेंसिंग प्रावधान लागू करने हेतु आदेश जारी करने का कष्ट करें ताकि जनपद में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यकम का बेहतर ढंग से कियान्वयन हो सकें।

संलग्नक :— पताका क :— महानिदेशक पत्रावली।
पताका ख :— लखनऊ गजट / नियमावली।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
मथुरा

तद्दिनांक

पत्रांक :— मु0चि0अ0 / 2020—21
प्रतिलिपि :— निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उ0प्र0 लखनऊ।
2. राज्य नोडल अधिकारी राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ उ0प्र0 लखनऊ।
3. जिलाधिकारी महोदय ,मथुरा।
4. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) मथुरा।
5. अधिशासी निदेशक उ0 प्र0 वोलंटरी हेल्थ एसोसिएशन लखनऊ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
मथुरा

REDMI NOTE 8
48MP QUAD CAMERA